न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 102/2021 (GCMS No. 2021/107) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामधन पुत्र कल्याण जाति गुर्जर उम्र 56 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम बाजौली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

..........अपीलान्ट

वनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलॉ।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध आदेश अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 04.08.2021 मुकदमा नं. 182/20 उनवानी रामधन बनाम सरकार एवं निर्णय नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलॉ दिनांक 09.10.2020 प्रकरण संख्या 83/20 उनवानी सरकार वनाम रामधन।

उपस्थिति:–

1. श्री मुकेश बंसल, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

निर्णय दिनांक : 10.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 04.08.2021 एवं नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलॉ के आदेश दिनांक 09.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 1251/736 रकवा 1.00 बीघा किस्म बंजड 2 पर जिन्स जोतकर सम्वत् 2077 में वांके ग्राम बाजौली में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर रेस्पोडैन्ट ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित करते हुए

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलान्ट को अवधि 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया साथ ही 50 गुना पेनेल्टी कायम की। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ की, जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही मानने हुये अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई के आदेश पारित किया गया है तथा पूर्व सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। निर्णय दिनांक 09.10.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलॉ ने अपने निर्णय में लिखा कि अप्रार्थी को नोटिस विधिवत तामील हुआ फिर भी वह अनुपस्थित रहा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.08.2021 में लिखा कि अपीलार्थी नोटिस तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ जबकि अपीलार्थी को कोई नोटिस तामील नहीं हुआ। प्रार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये आदेश पारित किया गया है जबकि पश्चातवर्ती के कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। केवल पटवारी रिपोर्ट पर ही कार्यवाही की गई है। पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबधं में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो। इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। एक मात्र पटवारी की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड दिया गया है। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नहीं होने एवं भविष्य में कोई कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलॉ दिनांक 09.10.2020 व न्यायालय अति. जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 04.08.2021 को निरस्त फरमाया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के संबध में माननीय न्यायालयों की न्यायिक नजीर 2011(2) आरआरटी पेज 912, 2011(2) आरआरटी पेज 1163, 2013(2)आरआरटी पेज 843, 2014–15 (supp.) आरआरटी पेज 680, 2014–15 (supp.)आरआरटी पेज 728 एवं 2014 (2)आरएलडब्ल्यू पेज 1567 पेश कीं।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हल्का की रिपोर्ट से होती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालयों की न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में इस बात का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है और भविष्य में वह विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इसलिए न्यायहित में उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि वह इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलॉ के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूपेण हटा लिया है और भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलॉ उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का मौके पर सत्यापन करेंगे। अपीलान्ट द्वारा कोई चूक किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना के अध्यधीन निरस्त किया जाता है तथा अपीलान्ट पर लगाई गई शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10-07-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर